

प्रारूप-21ग

नियम 64 देखिये

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

12-प्रतापनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री विक्रम सिंह नेगी ग्राम - खाण्ड पो0 ओ0 रजाखेत पट्टी धारमण्डल तहसील प्रतापनगर जिला टिहरी गढ़वाल। जो इंडियन नेशनल काँग्रेस पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान- नई टिहरी

तारीख-10.03.2022


रिटर्निंग ऑफिसर
12- प्रतापनगर विधान सभा।
12 प्रतापनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
टिहरी गढ़वाल

(Preview)
Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules And Order)
FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **Uttarakhand** from **12-Pratapnagar** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Vikram Singh Negi

vill. khand p.o. rajakhet patti dharmandal tehsil pratapnagar tehri garhwal [sponsored by **Indian National Congress**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : *New Tehri*

Date : 10-03-2022



(Prem Lal)

Returning Officer

012-Pratapnagar
Legislative Assembly Constituency

12 प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र
टिहरी गढ़वाल